न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :—शुचि त्यागी, आई.ए.एस., कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

प्रकरण संख्या :— 55/2017 (RCMS No.- 2017/00161)

व उनवानी प्रकरण :—

ऊदलसिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम वरसला थाना दिहोली जिला धौलपुर ———————————————————————प्रार्थी ।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर ——————— अप्रार्थी ।

प्रार्थना पत्र बावत आर्म्स अनुज्ञा पत्र बहाल/नवीनीकरण अन्तर्गत धारा 54 आयुध नियम 1962

उपस्थितिः—

1. प्रार्थी की ओर से :—प्रार्थी स्वंय
2. अप्रार्थी की ओर से :—श्री अनुभव पाराशर, सहा0 लोक अभियोजक (प्रथम)

निर्णय दिनांक 30.01.2018

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अप्रार्थी द्वारा अपने आदेश क्रमांक 2869 दिनांक 18.11.2013 से कुल 20 व्यक्तियों के आर्म्स अनुज्ञा पत्र यह कहते हुए निरस्त कर दिए कि उक्त 20 अनुज्ञा पत्र धारियों ने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है, इसलिए सूची में क्रम संख्या 16 पर अंकित प्रार्थी के अनुज्ञापत्र को आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (3) के तहत तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया तथा अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्र को पुलिस थाना पर जमा कराये जाने के आदेश दिए गए।

अप्रार्थी के आदेश दिनांक 18.11.13 से व्यथित होकर प्रार्थी ने माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर में अपील दायर की। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 18.08.2017 के द्वारा प्रार्थी की अपील स्वीकार कर अप्रार्थी के आदेश दिनांक 2869 दिनांक 18.11.13 को (क्रम संख्या 16 ऊदलसिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम वरसला थाना दिहोली की हद तक) निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि प्रार्थी को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर तार्किक व न्याय संगत निर्णय पारित करें।

माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर के निर्णय दिनांक 18.08.2017 की पालना में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की पत्रावली तलब की गई।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

प्रार्थी स्वंय एवं अप्रार्थी की ओर से श्री अनुभव पाराशर सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी उपस्थित हुए।

प्रकरण में अनुज्ञा पत्र के बहाली एवं नवीनीकरण हेतु पत्र कमांक 635 दिनांक 26.09.2017 से जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 26 दिनांक 03.01.2018 द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में थानाधिकारी थाना दिहौली से मार्फत वृत्ताधिकारी वृत्त मनियां से जॉच कराई गई। प्रार्थी ने शस्त्र का कोई दुरूपयोग नही किया है। प्रार्थी के विरूद्ध थाना दिहौली पर कोई सजायावी मुस्तवगी नही है। प्रार्थी का चाल–चलन अच्छा होना पाया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी उक्त रिपोर्ट में प्रार्थी के आर्म्स अनुज्ञा पत्र को बहाल किये जाने की अनुशंषा की है ।

प्रार्थी के द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में तहसीलदार राजाखेडा से रिपोर्ट पत्र क्रमांक 637 दिनांक 26.09.2017 से चाही गई। तहसीलदार राजाखेडा ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 3421 दिनांक 13.11.2017 से अवगत कराया है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में जांच पटवारी हल्का सदापुर से कराई गई। पटवारी द्वारा जांच में अवगत कराया कि प्रार्थी का सरकारी जमीन पर कोई कब्जा नही है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अप्रार्थी ने किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नही किया है। अप्रार्थी का यह तथ्य कि अनुज्ञापत्रधारी ने हथियारों का दुरूपयोग कर सरकारी भूमि पर कब्जा किया है, गलत है तथा उपलब्ध तथ्यों के विरूद्ध है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि प्रार्थी ने कभी हथियारों का दुरूपयोग कर लोक शान्ति को भंग किया है। अपीलान्ट का राजकीय भूमि पर कोई कब्जा नही है। अप्रार्थी ने आदेश दिनांक 18.11.2013 एकपक्षीय रूप से प्रार्थी को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये पारित किया है। तहसीलदार राजाखेडा ने भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 13.11.2017 से प्रार्थी का सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नही होना बताया है। तथा जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 03.01.2018 से प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने की अनुशंषा की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 36/77 बहाल किया जाकर नवीनीकरण किया जावे।

अप्रार्थी के विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस के दौरान तर्क किया कि तहसीलदार राजाखेडा के पत्र संख्या 513 दिनांक 17.10.2013 से प्राप्त सूची के अनुसार प्रार्थी ने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी ने हथियार का दुरूपयोग कर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया तथा इन्हें सुरक्षा की आवश्यकता न होकर प्रार्थी स्वयं सरकारी भूमि के लिए असुरक्षा उत्पन्न कर रहा है। ऐसे हालातों के मद्देनजर लोक शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से एवं शस्त्र के दुरूपयोग होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त किया गया है जो कतही गलत नहीं है। आदेश दिनांक 18.11.13 कानून के दायरे में रहकर ही पारित किया गया है जो पूर्णरूपेण न्यायसंगत है जिसमें

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

कतई किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं तहसीलदार राजाखेडा व जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अप्रार्थी ने आदेश दिनांक 18.11.2013 पारित करने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा शस्त्र का दुरूपयोग नहीं किया गया है। प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त करने की प्रक्रिया में जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की अहम भूमिका होती है चूंकि वह जिले की लोक शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए उत्तरदायी अधिकारी है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में विस्तृत प्रावधान दिए गए है। एलआर एक्ट एवं आर्म्स एक्ट दोनों ही अपने आप में पूर्ण एवं पृथक–पृथक कानून है। जिनको एक साथ जोड़कर देखना न्यायसंगत नहीं है। तहसीलदार राजाखेडा ने भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 13.11.2017 में प्रार्थी का सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नही होना बताया है तथा जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 03.01.2018 के द्वारा प्रार्थी के अनुज्ञा पत्र को बहाल किये जाने की अनुशंषा की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ऊदलसिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम वरसला थाना दिहौली जिला धौलपुर के आर्म्स अनुज्ञापत्र को बहाल किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी द्वारा पारित आदेश क्रमांक 2869 दिनांक 18.11.2013 को उक्त आदेश की क्रम संख्या 16 ऊदल सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम वरसला थाना दिहोली की हद तक निरस्त किए जाने तथा प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 36/77 को बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजाखेडा को निर्देशित किया जाता है कि यदि प्रार्थी सरकारी जमीन पर पुनः अतिक्रमण करता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति अप्रार्थी, जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर एंव तहसीलदार राजाखेडा को दी जावे। पत्रावली फैसल सुमार हो। बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2018 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रुचि त्यागी)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर